<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-00043/2017/भीलवाड़ा

नानालाल उर्फ नानूराम मूतबन्ना पुत्र गीरधारी बंजारा निवासी ग्राम रतनपुरा तह0 हम्मीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रतना बंजारा
2. मांगी पत्नि स्वर्गीय रतना बंजारा

दोनो निवासी ग्राम रतनपुरा तह0 हम्मीरगढ़ जिला भीलवाड़ा राज0।

3. श्रीमति देवो पुत्री स्वर्गीय रतना बंजारा निवासी रतनपुरा, हाल गणेशपुरा ,पोस्ट पीर की चोकी,जिला उदयपुर।
4. बग्शीया पुत्र भागू बंजारा निवासी ग्राम रतनपुरा तह0 हम्मीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
5. ग्राम पंचायत आमली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तह0 हम्मीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 हम्मीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

—रेस्पोडेण्ड

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी हम्मीरगढ़ दिनांक 13.05.2016 प्रकरण संख्या 10/2013 जिसमे नामांतरण संख्या 89 दिनांक 01.09.1980 निरस्त करते हुए रिमाण्ड किया।

उपस्थित अभि0:— श्री ईश्वर देवड़ा(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभि0:—श्री नासिर हुसैन(रेस्पो0 1)
राजकीय अभि0:— श्री आकाश पारीक

<u>निर्णय</u> दिनांकः—28.02.2022

अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रतनपुरा तहसील भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा न0 296,297,298,299,300,301,302 कुल किता 7 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार गिरधारी बंजारा था। गिरधारी द्वारा जमकू उर्फ नानी पत्नि लक्ष्मण बंजारा से नाता किया था। नारायणी का इनसे जन्म हुआ। उसके उपरांत जमकू की मृत्यु हो गई। गिरधारी ने अपने छोटे भाई के लड़के नानूराम उर्फ नानालाल अपीलांट को 40 वर्ष पूर्व गोदपुत्र के रूप में रखा। गिरधारी की जमीन पर वही काबिज काश्त है। दिनांक 07.09.1989 को गिरधारी का देहांत हो गया। रेस्पो0 न0 4 बक्शीया जो कि गिरधारी के भाई का लड़का है तथा उकार जो कि गिरधारी का भाई है। उसने यह बताते हुए कि गिरधारी के कोई संतान नहीं है, स्वयं अपने पक्ष में (बक्शीया,उकार) नामांतरण संख्या 89 दिनांक 01.09.1980 खुलवा लिया। जबकि भूमि पर कब्जा अपीलांट का ही रहा।

उक्त नामांतरण संख्या 87 दिनांक 01.09.1980 के विरूद्ध 33वर्ष पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 ने एस0डी0ओ हम्मी[illegible] विवाद अधिनियम धारा 5 के तहत प्रस्तुत कर कहा कि गिरधारी के देहांत के स[illegible] उ[illegible] पुत्र रतना जीवित था। गिरधारी को बिना संतान का होना बता कर उकार पुत्र रामा को [illegible]शीया पुत्र भागू द्वारा गलत नामांतरण तस्दीक करवाया है। जबकि रतना पुत्र गिरधारी [illegible] की मृत्यु दिनांक [illegible]2006 को हुई है। रेस्पो0 संख्या 1 रतना का पुत्र है तथा [illegible]0 संख्या 2 व 3 [illegible] की पुत्री है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौके व वारिसान की जाच किए उक्त विधिविरूद्ध नामांतरण दर्ज किया है। जिसे निरस्त किया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

यह अपील प्राप्त होने पर पेशी दिनांक 06.04.2016 एवं दिनांक 13.07.2016 नियत की गई थी। लेकिन इसे पूर्व ही बिना सूचना दिए उपखण्ड अधिकारी हम्मीरगढ़ ने दिनांक 13.05.2016 को सरसरी तौर पर स्वीकार करते हुए नामांतरण संख्या 87 दिनांक 01.09.1980 को निरस्त कर तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 24.02.2017 को हुई। दिनांक 07.04.2017 को नकल प्राप्त की और दिनांक 24.04.2017 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी। अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जायेगी-अपीलांट को बिना सुने एस0डी0ओ द्वारा निर्णय दिया गया। रेस्पो0 सख्या 1 को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। बिना धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के द्वारा एस0डी0ओ हम्मीरगढ़ द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय दिया गया। आदेश 41 नियम 3ए सीपीसी की पालना किए बिना विवेचना केनिर्णय दिया गया है। और वारिसान की जांच किये बिना निर्णय दिया गया है। जो विधिविरूद्ध निर्णय है।

अपीलांट द्वारा गिरधारी की खातेदारी भूमि एवं अन्य संपत्ति बाबत् डी0जे0 कोर्ट भीलवाड़ा में एक नियमित वाद रेस्पोडेंड के विरूद्ध दिनांक 05.05.2014 से जारी है। अर्थात रेस्पो0 के अधिवक्ता को वादपत्र की संपूर्ण जानकारी थी मगर जानबूझकर अपील दर्ज करवाकर नामांतरण अपने पक्ष खुलवा दिया। जबकि कानूनन यह स्थिति है कि जहां नियमित वाद विचाराधीन हो वहां नामांतरण संबंधित कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए। उपरोक्त आधारो पर अपील निर्णय दिनांक 13.05.2016 एवं नामांतरण संख्या 87 दिनांक 01.09.1980 को निरस्त किया जाकर भूमि का नामांतरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया जाने का आदेश दिया जायें।

इसके साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिये गए निर्णय की जानकारी उनको दिनांक 24.02.2017 को हुई कि लोकअदालत के माध्यम से दिनांक 13.05.2016 को ही फैसला कर दिया गया। दिनांक 07.04.2017 को नकल प्राप्त हुई। और दिनांक 24.04.2017 को न्यायालय हाजा अपील प्रस्तुत की दर्ज करवा दी गई। अतः अपील अंदर मियाद मानते हुए गुणावगुण पर निर्णय किया जायें। इसके समर्थन में एक शपथ पत्र भी दिया जाये।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपना शपथ पत्र भी दिया है। दस्तावेजो के अवलोकन से प्रार्थी के तथ्यों की पुष्टि होती है। प्रार्थी द्वारा अपील को देरी से प्रस्तुत करने के उपयुक्त कारण बताये है। अतः अपील को अंदर मियाद मानते हुए प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत करने में देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट द्वारा एक स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जायें। एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन प्रस्तुत किया जायें। जिसमें उन्होंने यह कहा कि उपखण्ड अधिकारी हम्मीरगढ़ के आदेश दिनांक 13.05.2016 का लाभ उठाते हुए विपक्षीगण उसे भूमि से बेदखल कर देगे और भूमि दूसरों को बेच देगें। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी हम्मीरगढ़ के आदेश दिनांक 13.05.2016 को स्थगित रखा जाकर राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जायें।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया चूंकि प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत हो गया है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र पर इस स्टेज पर आदेश की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई। मौखिक बहस के अनुसार अपीलांट ने कथन किए कि नानालाल गिरधारी के गोद लिया था। गिरधारी की मृत्यु 1979 में हो गई। नामांतरण के दौरान गिरधारी का पूरा हिस्सा जो कि 1/3 बनता था रामा ने अपने नाम करवा लिया और बक्शी[illegible] 1/3 [illegible] में उकार का 2/3 व बक्शीया का 1/3 हिस्सा लिखा हुआ है। अपीलांट [illegible] 3 [illegible]सा चाहता है जो कि गिरधारी का था। मगर विपक्षीगण ने गिरध[illegible] बिना [illegible] नामांतरण संख्या 87 दिनांक 01.09.1980 खुलवा लिया। इसके विरुद्ध की गई अपील को एस0डी0ओ ने बिना पक्षकार को सुने बिना लोकअदालत ने अपील को स्वीकार कर के अपील को पुनः तहसीलदार को भेजा। बहस में रेस्पो0 वकील ने भाग नही लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ए0डी0जे संख्या 2 भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 53/2014 आदेश दिनांक 22.07.2016 के अनुसार नारायणी पुत्री गिरधारी बंजारा नानूराम मु0 गिरधारी बंजारा जो अपीलांट प्रार्थी है। के द्वारा रामेश्वर पुत्र रतना बंजारा मांगी विधवा रतना बंजारा देव पुत्री रतना बंजारा जो कि रेस्पो0 है। के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी को निर्णित करते हुए यह आदेश दिया एक प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को प्रार्थीगण की संपत्ति में हस्तक्षेप से रोका गया।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा दिनांक 11.08.2021 को अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 4 ने माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया है कि पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है और अपील में वर्णित आराजीयात संख्या 296,297,298,299,300,301,302 अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 4 बगसीया उर्फ भागू बणजारा के रहेगी। इस बाबत अलग से राजीनामा निष्पादित कराकर नोटेरी से प्रमाणित करा दिया, जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न कर पेश है। अतः पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर अपील स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पो0 सं0 1 की ओर से श्री नासिर हुसैन अभिभाषक का वकालत नामा प्रस्तुत किया गया, शामिल मिसल किया गया। अभि0 रेस्पो0 द्वारा राजीनामा पर सहमति जाहिर कर अनापत्ति की गई।

मौखिक बहस के दौरान दोनों पक्षकारान द्वारा एक राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रथम पक्ष रामेश्वरलाल पिता रतना बंजारा है। तथा द्वितीय पक्ष नानू मु0 गिरधारी बंजारा जिनके द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उन्होनें कहा है कि उभय पक्षों के मध्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा राजीनामा करवा दिया गया है। अब हाईकोर्ट जोधपुर व ए0डी0सी अजमेर में चल रहे प्रकरणों में भी राजीनामा हो गया है। राजीनामे के अनुसार विवादित भूमि भी द्वितीय पक्ष व उसके भाई बक्शीया पुत्र भागू के नाम जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 85 में दर्ज है। उसमें प्रथम पक्ष का कोई हिस्सा नहीं होगा तथा द्वितीय पक्ष व उसका भाई बक्शीया ही मालिक होगा।

राजीनामें के अनुसार ग्राम रतनपुरा के अंदर आबादी में नारायण जाट के नोहरे के पास जो नोहरा है वह प्रथम पक्ष का ही रहेगा। द्वितीय पक्ष को कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा। गिरधारी की लड़की नारायणी के नाम संपत्ति से प्रथम पक्ष का कोई लेना-देना नहीं होगा। पक्षकारान की पहचान उनके वकील द्वारा की गई है।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। जिस बाबत पक्षकारान में अलग से राजीनामा निष्पादित कराकर नोटेरी से प्रमाणित भी करवा लिया है। पक्षकारों की पहचान उनके अभिभाषक द्वारा की गई है। राजीनामें के आधार पर प्रकरण का निपटारा किया जा सकता है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी हम्मीरगढ़ दिनांक 13.05.2016 प्रकरण संख्या 10/2013 जिसमे नामांतरण संख्या 89 दिनांक 01.09.1980 बाबत पक्षकारो के मध्य विवाद था। उक्त विवाद को पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनाम(04.08.2021) की रोशनी के संदर्भ में राजीनामें सहमति के बिन्दुओं के आधार पर निर्णित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:38:49 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर